

(J.H.C.Sch. 1-7)

☎ : Office - 0651-2462962

Fax No. - 0651- 2481116

From :
ANANT VIJAY SINGH
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF JHARKHAND
RANCHI.

FILE NO. XXII (51)-1/10/APPTT.

LETTER No. /APPTT.
Dated the 28th January, 2014

To

All the Principal District & Sessions Judges of Jharkhand
including the Principal Judicial Commissioner,
Ranchi.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Notification of the Law
(Judicial) Department, Government of Jharkhand, Ranchi received to the
Court vide memo No.B./Vidhi (Court Gathan)-K-07/2013-162/J dated
27.01.2014, whereby all the Courts of Principal District & Sessions Judge of
the State of Jharkhand including Principal Judicial Commissioner, Ranchi
have been designated as the Special Court for trial of Scheduled Offences
under Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008, for your
information and needful.

Encl: As above (One Sheet).

Yours faithfully

Sd/- **A.V.Singh**

Registrar General

Memo No. 1470 /Apptt. dated Ranchi, the 28.01.14

Copy forwarded to the Deputy Registrar (Protocol), Jharkhand High
Court, Ranchi for information with direction to upload the same on the
website of the Court.


Registrar General

My (P...)
01
28/1/2014

झारखण्ड सरकार
विधि (न्याय) विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, राँची- 834004

SO. Appdt
27/1/2014

--: अधिसूचना ::--

अधिसूचना संख्या-बी0/विधि (कोर्ट गठन)-क-07/2013- /जे0 राँची, दिनांक- जनवरी, 2014

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद्, झारखंड सरकार की स्वीकृति के आलोक में झारखंड राज्य के सभी न्यायमंडलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायायुक्त, राँची के न्यायालय को अगले आदेश तक राष्ट्रीय जाँच अभिकरण (एन0आई0ए0) अधिनियम, 2008 की धारा-22 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय पदभिहित (Designate) किया जाता है।

2. विशेष न्यायालयों के लिए पदभिहित (Designate) किये जाने वाले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायायुक्त, राँची के पदों के संधारण हेतु अलग से वेतनादि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

27.01.14

(बी0 बी0 मंगलमूर्ति)

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।

अधिसूचना संख्या-बी0/विधि (कोर्ट गठन)-क-07/2013- /जे0 राँची, दिनांक- जनवरी, 2014

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पो0-डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।

27.01.14

(बी0 बी0 मंगलमूर्ति)

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।

अधिसूचना संख्या-बी0/विधि (कोर्ट गठन)-क-07/2013- /जे0 राँची, दिनांक- जनवरी, 2014

प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

27.01.14

(बी0 बी0 मंगलमूर्ति)

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।

अधिसूचना संख्या-बी0/विधि (कोर्ट गठन)-क-07/2013- /जे0 राँची, दिनांक- 27/जनवरी, 2014

प्रतिलिपि-प्रधान महालेखाकार, झारखंड, पो0-डोरण्डा, राँची/महामहिम राज्यपाल जी के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, झारखंड, राँची/महानिबंधक, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/निगरानी ब्यूरो, झारखंड, राँची/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रधान न्यायायुक्त, राँची सहित)/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/सभी उपायुक्त, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.01.14

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।

27